राजस्थान-सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Email : dm-sir-rj@nic.in judisectionsirohi@gmail.com

क्रमांकः प.16(12)( )कोरोना/न्याय/20/ 2262 दिनांक 25-03-2021

:: आदेश ::

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण को नियन्त्रित करने हेतु दिनांक 23.3.2021 एवं अतिरिक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 24.3.2021 को दिये गये निर्देशों के कम में गृह विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेश संख्या प. 7(1)गृह-7/2021 दिनांक 24.03.2021 की अनुपालना में जिले में जन समूह एकत्र होने के कारण कोरोना संक्रमण नहीं फैले, इस हेतु इस कार्यालय के आदेश संख्या 2253-90 दिनांक 22.3.2021 को जारी की गई गाईडलाईन्स की निरन्तरता में होली एवं शब-ए-बारात के अवसर पर **दिनांक 28 व 29 मार्च, 2021** को सार्वजनिक स्थानों / पार्कों / बाजारों / धार्मिक स्थानों आदि पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक रहेगी । सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर आयोजन करने की इजाजत नहीं होगी एवं भीड इकट्ठा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी । इसके अलावा मास्क, सामाजिक दूरी, निगरानी आदि के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा ।

अतः समस्त इन ओदशों की पालना सुनिश्चित करें । निर्देशों का उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

(भगवती प्रसाद)
जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

क्रमांक प.16(12)( )कोरोना/न्याय/20/ 2262 दिनांक 25-03-2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, गृह (ग्रुप-7) विभाग, राजस्थान जयपुर ।
2. संभागीय आयुक्त, जोधपुर ।
3. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, जोधपुर ।
4. पुलिस अधीक्षक, सिरोही को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्तानुसार आदेश की पालना हेतु समस्त थानाधिकारियों को निर्देशित करावें ।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकरी, जिला परिषद, सिरोही /अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही
6. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिरोही/ शिवगंज/ रेवदर/ पिण्डवाड़ा/ आबूपर्वत ।
7. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सिरोही/ शिवगंज/ रेवदर/ पिण्डवाड़ा/ आबूरोड़।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ।
9. समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण .... जिला सिरोही ।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही/ शिवगंज/ रेवदर/ पिण्डवाड़ा/ आबूरोड़
11. आयुक्त, नगर परिषद्, सिरोही / आयुक्त, नगरपालिका, आबूपर्वत ।
12. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, पिण्डवाड़ा /शिवगंज /आबूरोड़ / जावाल ।
13. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकरी, सिरोही को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु ।
14. प्रभारी अधिकारी, नियन्त्रण कक्ष / आपदा प्रबन्धन / विकास शाखा
15. निजी सहायक, जिला कलक्टर, सिरोही ।

जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही